



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05022020-215934
CG-DL-E-05022020-215934

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 426]
No. 426]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 30, 2020/माघ 10, 1941
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 30, 2020/MAGHA 10, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2020

का.आ. 460(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2029(अ), तारीख 21 मई, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 22 मई, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर मंत्रालय में विचार किया गया था;

और, डिब्रू-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया सिविल जिलों में, 340.0 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और इसे असम सरकार की अधिसूचना सं. एफआरडब्ल्यू.21/90/171 दिनांक 5 मार्च, 1999 को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह क्षेत्र एक ही पारिस्थितिक इकाई है जो मूल रूप से उत्तर में ब्रह्मपुत्र एवं सियांग नदी, पूर्व में लोहित एवं देबंग, दक्षिण-पूर्व में अनंत नाला और दक्षिण में डांगोरी एवं डिब्रू नदी का बाढ़ का मैदान है;

और, यह राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी सहायक नदियों और विशेषकर ब्रह्मपुत्र नदी के जल-मार्ग द्वारा निर्मित एक अद्वितीय भू-आकृति विज्ञान संरचना का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि इंडो-जेनेटिक डॉल्फिन का महत्वपूर्ण पर्यावास है;

और, डिब्रू-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, जैव- भौगोलिक दृष्टि से "उत्तरी पूर्वी भारत- ब्रह्मपुत्र घाटी जैव- भौगोलिक प्रांत" (9ए) का प्रतिनिधित्व करता है। दो प्रमुख जैव विविधता स्थलों का अंतरण स्थल होने के कारण यहां वनस्पति और जीवजंतुओं की प्रचुरता है, जो विविध प्रकार के जीवजंतुओं के लिए सहायक है जो यहां की क्षेत्रीय, जलीय और वानस्पतिक पारिस्थितिकी के लिए अनुकूल हैं;

और, यह राष्ट्रीय उद्यान आश्चर्यजनक रूप से समृद्ध वनस्पति का सहायक है जिनमें 28 वृक्ष प्रजातियां, 26 झाड़ी प्रजातियां, 2 परजीवी पौधों की प्रजातियां, 17 घास प्रजातियां, 16 जलीय पौधों की प्रजातियां, 3 दलदलीय पौधों की प्रजातियां, 4 पर्वतारोहियों और स्कैंडन्स की प्रजातियां, 5 बेंत की प्रजातियां, 13 ऑर्किड की प्रजातियां और 6 संकटापन्न औषधीय पौधों की प्रजातियां शामिल हैं;

और, डिब्रू-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान में अनेक पशु-पक्षियों के पर्यावास हैं। यहां के मुख्य क्षेत्र में 10 ऑर्डर और 19 परिवारों से संबंधित 36 स्तनधारी प्रजातियां और 27 जेनरा अभिलिखित हैं, जिनमें से 12 अनुसूची-1 में शामिल हैं। इस उद्यान में मौजूद मुख्य स्तनधारी प्रजातियों में से एक प्रजाति वन्य घोड़ों की है। इस राष्ट्रीय उद्यान में कछुओं की 11 प्रजातियों, दो मॉनिटर छिपकलियों सहित छिपकली की 9 प्रजातियों, उभयचरों की 18 प्रजातियों, मछलियों की 104 प्रजातियों, सांपों की 23 विभिन्न प्रजातियों और तितलियों की 104 प्रजातियों के अतिरिक्त जलचरों की लगभग 500 प्रजातियों के आश्रय स्थल हैं। यह क्षेत्र प्रवासी पक्षियों को भी आकर्षित करता है और विभिन्न प्रकार के जलीय और स्थलीय पक्षियों के लिए एक खाद्यान्न भूमि है;

और, सर्दी के मौसम में सूख जाने वाले नदी तट के रेतीले भाग (चापोरीस) जलोढ़ घासभूमि के विकास में सहायक हैं जो न केवल अत्यधिक संकटापन्न बंगाल फ्लोरिकन के लिए उत्कृष्ट पर्यावास हैं, बल्कि डिब्रू-डंगोरी हाथी कॉरिडोर में हाथियों के लिए प्रवासन मार्ग का और बाघों के अरुणाचल प्रदेश राज्य में जाने हेतु सुरक्षित मार्ग का भी काम करते हैं;

और, डिब्रू-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, जिसका विस्तार और सीमाएं पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, तथा जैव प्रौद्योगिकी पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राज्य के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में डिब्रू-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) किलोमीटर से 8.7 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है), के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार डिब्रू-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) किलोमीटर से 8.7 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का 658.251 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। (पारिस्थितिकी संवेदी जोन का शून्य विस्तार उचित किया गया है कि "राष्ट्रीय उद्यान सीमा के दक्षिणी भाग के आसपास के क्षेत्र में कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस विद्यमान है।")

(2) डिब्रू-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण उपाबंध I के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के डिब्रू-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान के मानचित्र **उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख, और उपाबंध-IIग** के रूप में संलग्न है।

(4) राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर ट्रिलिंग कुंओं के मुख्य बिंदुओं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन, डिब्रू-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध III** की सारणी **क, सारणी ख** और सारणी **ग** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना- (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की शासकीय तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार की जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि और बागवानी;
- (iv) भूमि राजस्व और बंदोबस्त;
- (v) ग्रामीण विकास;
- (vi) नगर विकास;
- (vii) नगरपालिका;
- (viii) पंचायती राज;
- (ix) पर्यटन;
- (x) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (xi) लोक निर्माण विभाग, और
- (xii) असम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के व्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और पैराग्राफ-4 में सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटर समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए उपरोक्त कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत ग्रह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंज्ञात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोतों.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा;

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी;

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी;

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे :-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी-पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(4) नैसर्गिक विरासत.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छ ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक इकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अधीन तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	वर्णन (3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने और व्यक्तिगत उपभोग के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगा; (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित होंगी।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी; परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार

		जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्त्राव का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
9.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप होगा।
10.	फर्मों, निगमों और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे:- परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण

		क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
12.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे।
14.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
15.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
16.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
21.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्तारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाह के निस्तारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के

		पुनःचक्रण और पुनःउपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्वाह के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
23.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
25.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	पारिस्थितिकी-पर्यटन	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	ठोस अपशिष्ट एवं प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
30.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है।
35.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	निम्नीकृत भूमि/ वन / वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति.- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:-

- | | | |
|-------|--|----------------|
| (i) | कमिश्नर, अपर असम जोन, जोरहाट | अध्यक्ष, पदेन; |
| (ii) | उपायुक्त, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ | सदस्य; |
| (iii) | निदेशक, असम पर्यटन विभाग का प्रतिनिधि | सदस्य; |
| (iv) | प्रभागीय वन अधिकारी, डिगबोई, डिब्रूगढ़ और डूमडोमा डिवीजन | सदस्य; |
| (v) | परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले | सदस्य; |
| (vi) | जिला मत्स्य अधिकारी, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले | सदस्य; |
| (vii) | संभागीय अधिकारी, मृदा संरक्षण प्रभाग, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले | सदस्य; |

(viii)	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले	सदस्य;
(ix)	जिला कृषि अधिकारी, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले	सदस्य;
(x)	जिला पशुपालन और पशु चिकित्सा अधिकारी, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले	सदस्य;
(xi)	कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सड़क विभाग), तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले	सदस्य;
(xii)	कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन प्रभाग), तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले	सदस्य;
(xiii)	असम सरकार द्वारा प्रकृति संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि	सदस्य;
(xiv)	ज्येष्ठ पर्यावरण अभियंता (क्षेत्रीय कार्यालय), प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले	सदस्य;
(xv)	असम सरकार के प्रतिष्ठित संस्थान / असम विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ को नामांकित किया जाना है	सदस्य;
(xvi)	प्रभागीय वनाधिकारी, तिनसुकिया वन्यजीव प्रभाग	सदस्य सचिव।

6. निर्देश-निबंधन:- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुनः गठन तक के लिए होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध V में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

[फा. सं. 25/07/2016-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढकोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

असम राज्य में डिब्रू-साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

दक्षिण: यह पारिस्थितिकी संवेदी जोन जीपीएस बिंदु सं. 1 (95° 40' 33.108" पू और 27° 46' 44.406" उ) से आरंभ होता है जो कि धोला सदिया पुल के दक्षिणी अंत में स्थित है। इस बिंदु से पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा जीपीएस बिंदु सं. 2 (95° 38' 57.929" पू और 27° 46' 42.022" उ) पर ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट के साथ पश्चिम दिशा की ओर जाती है। जीपीएस बिंदु सं. 2 से सीमा पुनः जीपीएस बिंदु सं. 3 (95° 36' 34.383" पू और 27° 46' 7.551" उ) पर सड़क के साथ पश्चिम दिशा की ओर जाती है। जीपीएस बिंदु सं. 3 से सीमा दक्षिण की ओर जाकर जीपीएस बिंदु सं. 4 (95° 36' 31.965" पू और 27° 45' 59.683" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 4 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 5 (95° 35' 55.120" पू और 27° 45' 32.586" उ) पर नाले के साथ जाती है। जीपीएस बिंदु सं. 5 से सीमा सड़क के साथ दक्षिण की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 6 (95° 35' 48.587" पू और 27° 45' 22.675" उ) से मिलती है।

जीपीएस बिंदु सं. 6 से सीमा पुनः सड़क के साथ पश्चिमी दिशा में जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 7 (95° 30' 32.718" पू और 27° 44' 13.989" उ) पर मिलती है। बिंदु सं. 7 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 8 (95° 28' 30.416" पू और 27° 40' 17.721" उ) पर नदी के साथ जाती है। जीपीएस बिंदु सं. 8 से सीमा उत्तर की ओर सीधे जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 9 (95° 27' 8.423" पू और 27° 41' 19.355" उ) पर मिलती है जो कि डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा में स्थित है। जीपीएस बिंदु सं. 9 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 10 को पार करके डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान सीमा के साथ जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 11 (95° 21' 39.151" पू और 27° 35' 43.758" उ) पर मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 11 से सीमा दक्षिण की ओर जाती है जीपीएस बिंदु सं. 12 (95° 21' 55.267" पू और 27° 35' 7.199" उ) पर मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 12 से पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा डिब्रू नदी (बांये तट) की 250 मीटर लम्बी मध्यवर्ती सीमा के साथ जाती है और जीपीएस बिंदु सं. (95° 22' 16.467" पू और 27° 34' 26.108" उ) पर मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. से पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा जीपीएस बिंदु सं. 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 को पार करके काल्पनिक रेखा की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 30 (95° 22' 9.703" पू और 27° 34' 13.330" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 30 से यह सीमा डिब्रू नदी (दांये तट) की 250 मीटर लम्बी मध्यवर्ती सीमा के साथ जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 31 (95° 21' 46.005" पू और 27° 34' 51.579" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 31 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 32,33,34 को पार करके ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट के साथ जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 35 (95° 17' 49.051" पू और 27° 34' 19.811" उ) से मिलती है।

पश्चिम: डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की पश्चिमी सीमा जीपीएस बिंदु सं. 35 (95° 17' 49.051" पू और 27° 34' 19.811" उ) से आरंभ होती है जो कि जीपीएस बिंदु सं. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 को पार करके काल्पनिक रेखा का अनुसरण करती है और जीपीएस बिंदु सं. 49 (95° 11'

37.010" पू और 27° 35' 48.411" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 49 से सीमा पुनः राष्ट्रीय उद्यान सीमा के साथ जीपीएस बिंदु सं. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 को पार करके जीपीएस बिंदु सं. 57 (95° 8' 20.617" पू और 27° 36' 3.285" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 57 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 58 और 59 को पार करके सीधे उत्तर की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 60 (95° 8' 16.691" पू और 27° 41' 21.448" उ) से मिलती है।

उत्तर: डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की उत्तरी सीमा जीपीएस बिंदु सं. 60 (95° 8' 16.691" पू और 27° 41' 21.448" उ) से आरंभ होती है और जीपीएस बिंदु सं. 61 को पार करके ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट की ओर जाती है तथा जीपीएस बिंदु सं. 62 (95° 12' 17.779" पू और 27° 42' 58.645" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 62 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 63, 64, 65 और 66 को पार करके काल्पनिक रेखा की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 67 (95° 25' 31.436" पू और 27° 46' 8.192" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 67 से सीमा पुनः जीपीएस बिंदु सं. 68, 69 और 70 को पार करके ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट के साथ जाकर जीपीएस बिंदु सं. 71 (95° 35' 38.772" पू और 27° 49' 46.825" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 71 से सीमा दिबांग नदी के बांये तट के साथ दक्षिण की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 72 (95° 35' 30.856" पू और 27° 48' 28.508" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 72 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 73 को पार करके ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट के साथ जाकर जीपीएस बिंदु सं. 74 (95° 40' 33.920" पू और 27° 48' 54.974" उ) से मिलती है।


पूर्व: डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की पूर्वी सीमा जीपीएस बिंदु सं. 74 (95° 40' 33.920" पू और 27° 48' 54.974" उ) से आरंभ होती है जो कि धोला सदिया पुल (उत्तरी बिंदु) पर स्थित है। जीपीएस बिंदु सं. 74 से सीमा धोला सदिया पुल के साथ दक्षिण की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 1 (95° 40' 33.108" पू और 27° 46' 44.406" उ) से मिलती है जो कि धोला सदिया पुल का दक्षिणी छोर है।

डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी जोन की दक्षिणी सीमा के अत्यधिक निकट वाले क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस की मौजूदगी के कारण पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विस्तार 0.0 किलोमीटर प्रस्तावित है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार 0.0 किलोमीटर से 8.7 किलोमीटर तक है।

उपाबंध- IIक


मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ डिब्रू-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

ECO-SENSITIVE ZONE OF DIBRU-SAIKHOWA NATIONAL PARK




उपाबंध- IIख

तेल ड्रिलिंग कुएं और मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ डिब्रू-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध- IIग

डिब्रू कुंओं का विवरण और मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ डिब्रू-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन को दर्शाने वाला मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: डिब्रू-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

बिंदु आईडी	देशांतर	अक्षांश
1	95° 36' 15.504" पू	27° 45' 54.468" उ
2	95° 33' 25.205" पू	27° 45' 58.765" उ
3	95° 31' 59.320" पू	27° 46' 49.727" उ
4	95° 30' 50.139" पू	27° 45' 34.330" उ

5	95° 29' 42.799" पू	27° 44' 49.907" उ
6	95° 28' 59.203" पू	27° 43' 15.283" उ
7	95° 27' 38.208" पू	27° 42' 24.917" उ
8	95° 27' 3.144" पू	27° 40' 47.259" उ
9	95° 26' 29.345" पू	27° 39' 6.946" उ
10	95° 25' 22.057" पू	27° 37' 54.839" उ
11	95° 23' 44.624" पू	27° 37' 2.968" उ
12	95° 22' 11.754" पू	7° 36' 4.301" उ
13	95° 20' 57.056" पू	27° 35' 39.316" उ
14	95° 19' 59.859" पू	27° 35' 34.642" उ
15	95° 18' 16.091" पू	27° 35' 31.599" उ
16	95° 17' 8.046" पू	27° 34' 39.883" उ
17	95° 15' 58.104" पू	27° 34' 43.068" उ
18	95° 14' 24.427" पू	27° 35' 7.660" उ
19	95° 13' 25.610" पू	27° 35' 25.577" उ
20	95° 12' 9.544" पू	27° 35' 30.250" उ
21	95° 10' 54.242" पू	27° 36' 24.439" उ
22	95° 10' 59.422" पू	27° 37' 7.211" उ
23	95° 9' 27.818" पू	27° 36' 25.624" उ
24	95° 8' 37.362" पू	27° 36' 30.047" उ
25	95° 11' 34.564" पू	27° 38' 40.144" उ
26	95° 13' 30.451" पू	27° 38' 57.788" उ
27	95° 15' 13.123" पू	27° 39' 34.581" उ
28	95° 16' 27.214" पू	27° 40' 44.839" उ
29	95° 17' 51.883" पू	27° 41' 3.231" उ
30	95° 19' 19.235" पू	27° 42' 11.036" उ
31	95° 21' 9.471" पू	27° 42' 33.319" उ
32	95° 22' 41.931" पू	27° 43' 36.062" उ
33	95° 24' 29.560" पू	27° 44' 0.065" उ
34	95° 25' 59.808" पू	27° 44' 59.112" उ
35	95° 27' 27.434" पू	27° 46' 3.982" उ
36	95° 28' 44.780" पू	27° 47' 21.348" उ
37	95° 30' 28.509" पू	27° 48' 1.842" उ
38	95° 32' 23.881" पू	27° 47' 48.657" उ
39	95° 34' 6.350" पू	27° 46' 58.046" उ
40	95° 35' 48.725" पू	27° 46' 18.753" उ

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

बिंदु आईडी	देशांतर	अक्षांश
1	95° 40' 33.108" पू	27° 46' 44.406" उ
2	95° 38' 57.929" पू	27° 46' 42.022" उ
3	95° 36' 34.383" पू	27° 46' 7.551" उ
4	95° 36' 31.965" पू	27° 45' 59.683" उ
5	95° 35' 55.120" पू	27° 45' 32.586" उ
6	95° 35' 48.587" पू	27° 45' 22.675" उ
7	95° 30' 32.718" पू	27° 44' 13.989" उ
8	95° 28' 30.416" पू	27° 40' 17.721" उ
9	95° 27' 8.423" पू	27° 41' 19.355" उ
10	95° 24' 39.146" पू	27° 37' 45.135" उ
11	95° 21' 39.151" पू	27° 35' 43.758" उ
12	95° 21' 55.267" पू	27° 35' 7.199" उ
13	95° 22' 16.467" पू	27° 34' 26.108" उ
14	95° 23' 8.171" पू	27° 34' 41.124" उ
15	95° 23' 14.341" पू	27° 35' 3.833" उ
16	95° 23' 38.490" पू	27° 35' 3.206" उ
17	95° 23' 41.921" पू	27° 34' 41.351" उ
18	95° 24' 47.239" पू	27° 34' 43.619" उ
19	95° 26' 21.044" पू	27° 34' 17.058" उ
20	95° 25' 58.202" पू	27° 33' 46.479" उ
21	95° 24' 34.558" पू	27° 34' 23.018" उ
22	95° 24' 14.323" पू	27° 34' 21.766" उ
23	95° 24' 10.274" पू	27° 34' 13.642" उ
24	95° 23' 26.499" पू	27° 34' 27.797" उ
25	95° 22' 51.437" पू	27° 34' 26.071" उ
26	95° 22' 36.798" पू	27° 33' 28.131" उ
27	95° 22' 24.922" पू	27° 33' 30.194" उ
28	95° 22' 21.395" पू	27° 33' 41.070" उ
29	95° 22' 20.199" पू	27° 34' 5.682" उ
30	95° 22' 9.703" पू	27° 34' 13.330" उ
31	95° 21' 46.005" पू	27° 34' 51.579" उ
32	95° 20' 54.156" पू	27° 34' 37.373" उ
33	95° 19' 56.681" पू	27° 34' 52.666" उ
34	95° 18' 55.229" पू	27° 34' 30.123" उ

35	95° 17' 49.051" पू	27° 34' 19.811" उ
36	95° 16' 56.307" पू	27° 34' 10.779" उ
37	95° 16' 2.639" पू	27° 34' 10.200" उ
38	95° 15' 28.079" पू	27° 34' 24.600" उ
39	95° 15' 37.799" पू	27° 34' 36.840" उ
40	95° 15' 6.804" पू	27° 34' 54.728" उ
41	95° 14' 51.719" पू	27° 34' 46.200" उ
42	95° 14' 14.033" पू	27° 34' 45.434" उ
43	95° 13' 43.826" पू	27° 34' 31.787" उ
44	95° 13' 43.705" पू	27° 34' 51.520" उ
45	95° 12' 42.119" पू	27° 35' 0.600" उ
46	95° 12' 15.839" पू	27° 35' 22.200" उ
47	95° 11' 57.479" पू	27° 35' 2.400" उ
48	95° 11' 14.224" पू	27° 35' 20.694" उ
49	95° 11' 37.010" पू	27° 35' 48.411" उ
50	95° 11' 27.041" पू	27° 36' 21.006" उ
51	95° 10' 39.175" पू	27° 36' 14.019" उ
52	95° 10' 36.116" पू	27° 36' 18.260" उ
53	95° 11' 22.174" पू	27° 37' 2.714" उ
54	95° 10' 40.707" पू	27° 37' 14.512" उ
55	95° 10' 19.539" पू	27° 36' 47.155" उ
56	95° 9' 18.871" पू	27° 36' 18.295" उ
57	95° 8' 20.617" पू	27° 36' 3.285" उ
58	95° 8' 18.246" पू	27° 37' 21.619" उ
59	95° 8' 14.476" पू	27° 39' 45.500" उ
60	95° 8' 16.691" पू	27° 41' 21.448" उ
61	95° 11' 14.237" पू	27° 41' 35.333" उ
62	95° 12' 17.779" पू	27° 42' 58.645" उ
63	95° 15' 37.938" पू	27° 43' 46.588" उ
64	95° 18' 14.131" पू	27° 44' 23.934" उ
65	95° 20' 50.349" पू	27° 45' 1.230" उ
66	95° 23' 26.593" पू	27° 45' 38.474" उ
67	95° 25' 31.436" पू	27° 46' 8.192" उ
68	95° 28' 12.221" पू	27° 47' 39.423" उ
69	95° 30' 10.730" पू	27° 49' 0.183" उ
70	95° 32' 43.433" पू	27° 49' 13.018" उ

71	95° 35' 38.772" पू	27° 49' 46.825" उ
72	95° 35' 30.856" पू	27° 48' 28.508" उ
73	95° 38' 21.399" पू	27° 49' 4.281" उ
74	95° 40' 33.920" पू	27° 48' 54.974" उ

सारणी ग : भू-निर्देशांकों के साथ डिब्रू-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के निकट ड्रिलड के मुख्य

अवस्थान बिंदु

ड्रिलड कुंओं					
नाम	देशांतर	अक्षांश	नाम	देशांतर	अक्षांश
एच जे एन-61	95° 26' 52.800" पू	27° 27' 11.124" उ	एम के एम-45	95° 24' 42.240" पू	27° 28' 22.150" उ
बी आर के-26	95° 23' 11.313" पू	27° 32' 15.562" उ	एम के एम -44	95° 24' 42.732" पू	27° 28' 22.168" उ
एस सी एम-6	95° 23' 52.978" पू	27° 30' 47.905" उ	एम के एम -16	95° 24' 35.407" पू	27° 28' 22.905" उ
एम सी के-4	95° 37' 31.522" पू	27° 43' 46.586" उ	एम के एम -29	95° 24' 35.248" पू	27° 28' 21.810" उ
बी जेड एल-2	95° 26' 41.150" पू	27° 25' 38.970" उ	एम के एम -17	95° 24' 35.264" पू	27° 28' 21.335" उ
बी जेड एल1	95° 26' 40.872" पू	27° 25' 38.771" उ	एम के एम -38	95° 24' 35.330" पू	27° 28' 20.650" उ
एन एच के-581	95° 27' 18.070" पू	27° 25' 27.460" उ	एम के एम -32	95° 24' 35.270" पू	27° 28' 20.170" उ
बी जेड एल1-3	95° 26' 42.160" पू	27° 25' 39.880" उ	एम के एम -46	95° 24' 5.930" पू	27° 28' 23.919" उ
बी जेड एल1-4	95° 26' 43.020" पू	27° 25' 40.560" उ	एम के एम -33	95° 24' 6.357" पू	27° 28' 23.640" उ
बी जेड एल15	95° 26' 43.040" पू	27° 25' 39.850" उ	एच जे एन-55	95° 28' 35.843" पू	27° 27' 14.577" उ
एन एच के -249	95° 26' 59.713" पू	27° 25' 50.479" उ	एच जे एन-4	95° 28' 31.348" पू	27° 27' 16.218" उ
डी एस जे-1	95° 27' 27.243" पू	27° 38' 51.787" उ	एच जे एन-28	95° 28' 33.244" पू	27° 27' 16.969" उ
बी जे पी-4	95° 29' 28.252" पू	27° 27' 48.220" उ	एच जे एन-9	95° 28' 33.736" पू	27° 27' 15.390" उ
एच जे एन-6	95° 28'	27° 27'	एच जे एन-12	95° 28'	27° 27'

	56.645" पू	47.677" उ		35.305" पू	14.671" उ
एच जे एन-26	95° 28' 56.711" पू	27° 27' 47.312" उ	एच जे एन-25	95° 28' 36.622" पू	27° 27' 12.607" उ
एच जे एन-14	95° 28' 20.431" पू	27° 27' 35.378" उ	एच जे एन-57	95° 27' 49.825" पू	27° 26' 36.417" उ
एच जे एन-8	95° 28' 52.125" पू	27° 27' 36.565" उ	एच जे एन-54	95° 27' 53.040" पू	27° 26' 10.670" उ
एच जे एन-1	95° 28' 52.684" पू	27° 27' 36.346" उ	एच जे एन-21	95° 27' 42.080" पू	27° 25' 58.407" उ
एच जे एन-13	95° 28' 19.898" पू	27° 27' 35.078" उ	एच जे एन-38	95° 27' 42.371" पू	27° 25' 58.412" उ
एच जे एन-11	95° 28' 19.440" पू	27° 27' 35.102" उ	के एम आर-1	95° 24' 21.819" पू	27° 25' 27.410" उ
एच जे एन-15	95° 28' 20.195" पू	27° 27' 35.155" उ	एन एच के-506	95° 17' 26.504" पू	27° 25' 31.698" उ
एच जे एन-2	95° 28' 4.729" पू	27° 27' 29.487" उ	एन एच के -557	95° 16' 58.562" पू	27° 26' 25.311" उ
एच जे एन-19	95° 27' 54.853" पू	27° 27' 37.602" उ	एन एच के -594	95° 16' 15.980" पू	27° 26' 28.320" उ
एच जे एन-20	95° 27' 54.782" पू	27° 27' 37.050" उ	एन एच के -604	95° 19' 3.000" पू	27° 27' 26.700" उ
एच जे एन-22	95° 27' 54.991" पू	27° 27' 36.715" उ	एन एच के -610	95° 20' 12.030" पू	27° 25' 20.740" उ
एच जे एन-10	95° 27' 50.904" पू	27° 27' 25.375" उ	एन एच के -613	95° 17' 27.310" पू	27° 25' 31.680" उ
एच जे एन-3	95° 27' 50.598" पू	27° 27' 25.232" उ	बी जी एन-1	95° 23' 37.033" पू	27° 35' 42.410" उ
एच जे एन-16	95° 27' 42.306" पू	27° 27' 16.456" उ	बी जी एन -2	95° 24' 12.220" पू	27° 36' 15.857" उ
एच जे एन-17	95° 27' 42.204" पू	27° 27' 16.202" उ	बी जी एन -3	95° 23' 30.661" पू	27° 36' 12.061" उ
एच जे एन-5	95° 28' 17.637" पू	27° 27' 47.040" उ	बी जी एन -4	95° 24' 57.665" पू	27° 36' 22.967" उ
एच जे एन-18	95° 27' 41.766" पू	27° 27' 15.092" उ	बी जी एन -5	95° 22' 51.066" पू	27° 35' 46.566" उ
एच जे एन-7	95° 28' 0.075" पू	27° 28' 1.596" उ	बी जी एन -6	95° 24' 56.948" पू	27° 36' 23.674" उ

एच जे एन-42	95° 27' 39.139" पू	27° 28' 24.606" उ	बी जी एन -7	95° 24' 57.039" पू	27° 36' 23.076" उ
एच जे एन-27	95° 27' 59.507" पू	27° 28' 2.233" उ	बी जी एन -8	95° 24' 12.807" पू	27° 36' 16.061" उ
एच जे एन-23	95° 26' 46.020" पू	27° 28' 13.570" उ	बी जी एन -9	95° 24' 57.424" पू	27° 36' 23.314" उ
एच जे एन-48	95° 26' 57.520" पू	27° 28' 35.920" उ	बी जी एन -10	95° 24' 58.750" पू	27° 36' 22.746" उ
एच जे एन-32	95° 26' 42.912" पू	27° 28' 9.113" उ	बी जी एन -11	95° 24' 11.316" पू	27° 36' 43.882" उ
एच जे एन-30	95° 26' 42.134" पू	27° 28' 8.426" उ	बी जी एन -12	95° 24' 11.068" पू	27° 36' 43.968" उ
एच जे एन-31	95° 26' 42.552" पू	27° 28' 8.714" उ	बी जी एन -13	95° 24' 10.495" पू	27° 36' 44.210" उ
एच जे एन-52	95° 26' 26.503" पू	27° 27' 42.832" उ	बी जी एन -14	95° 25' 13.020" पू	27° 36' 56.933" उ
एम के एम-27	95° 26' 13.698" पू	27° 28' 11.818" उ	बी जी एन -15	95° 25' 12.381" पू	27° 36' 56.846" उ
एच जे एन-33	95° 26' 41.712" पू	27° 28' 8.016" उ	बी जी एन -16	95° 25' 11.771" पू	27° 36' 56.713" उ
एम के एम -3	95° 26' 12.247" पू	27° 28' 27.431" उ	बी जी एन -17	95° 25' 11.076" पू	27° 36' 56.669" उ
एच जे एन-43	95° 26' 12.564" पू	27° 28' 11.760" उ	बी जी एन -18	95° 25' 12.008" पू	27° 36' 57.021" उ
एच जे एन-50	95° 26' 13.140" पू	27° 28' 11.805" उ	बी जी एन -19	95° 25' 12.649" पू	27° 36' 57.156" उ
एम के एम -4	95° 26' 12.238" पू	27° 28' 26.937" उ	एम सी के-1	95° 37' 52.393" पू	27° 43' 32.548" उ
एम के एम -19	95° 26' 12.195" पू	27° 28' 25.940" उ	एम सी के-2	95° 37' 8.407" पू	27° 43' 42.718" उ
एम के एम -5	95° 26' 12.305" पू	27° 28' 26.437" उ	एम सी के-3	95° 36' 33.391" पू	27° 43' 31.526" उ
एच जे एन-52	95° 26' 27.900" पू	27° 27' 42.850" उ	बी जी पी-1	95° 30' 6.429" पू	27° 25' 56.221" उ
एच जे एन-44	95° 26' 28.898" पू	27° 27' 42.853" उ	बी जी पी -2	95° 32' 40.422" पू	27° 25' 42.555" उ
एच जे एन-	95° 26'	27° 27'	बी जी पी -7	95° 32'	27° 25'

40	28.327" पू	42.893" उ		49.431" पू	15.512" उ
एच जे एन-37	95° 26' 27.038" पू	27° 27' 43.030" उ	बी जी पी -5	95° 34' 20.067" पू	27° 25' 34.887" उ
एच जे एन-39	95° 26' 27.574" पू	27° 27' 42.996" उ	बी जी पी -6	95° 33' 14.397" पू	27° 26' 23.827" उ
एच जे एन-34	95° 26' 36.341" पू	27° 27' 47.456" उ	एम एम डी-2	95° 34' 0.559" पू	27° 27' 43.280" उ
एम के एम -2	95° 26' 12.419" पू	27° 28' 34.607" उ	एम एम डी -3	95° 32' 59.207" पू	27° 29' 2.092" उ
एच जे एन-35	95° 26' 37.851" पू	27° 27' 47.613" उ	एम एम डी -1	95° 33' 4.079" पू	27° 29' 18.176" उ
एच जे एन-56	95° 26' 36.840" पू	27° 27' 48.393" उ	बी एच जे-6	95° 29' 59.226" पू	27° 30' 39.962" उ
एच जे एन-41	95° 26' 38.510" पू	27° 27' 48.030" उ	बी एच जे -3	95° 30' 38.751" पू	27° 31' 13.482" उ
एम के एम -1	95° 26' 12.516" पू	27° 28' 35.344" उ	बी एच जे -4	95° 30' 38.390" पू	27° 31' 14.390" उ
एम के एम -20	95° 25' 56.853" पू	27° 28' 52.499" उ	बी एच जे -1	95° 30' 38.256" पू	27° 31' 14.926" उ
एम के एम -21	95° 25' 59.119" पू	27° 28' 53.386" उ	बी एच जे -2	95° 30' 37.726" पू	27° 31' 15.304" उ
एम के एम -18	95° 25' 18.682" पू	27° 28' 46.139" उ	बी एच जे -5	95° 31' 32.149" पू	27° 30' 55.929" उ
एम के एम -35	95° 25' 18.820" पू	27° 28' 45.030" उ	एन बी एच-1	95° 31' 4.903" पू	27° 32' 8.982" उ
एम के एम -24	95° 25' 18.840" पू	27° 28' 44.670" उ	टी एल पी-1	95° 34' 49.303" पू	27° 38' 58.883" उ
एम के एम -26	95° 25' 18.890" पू	27° 28' 44.180" उ	टी एल पी -2	95° 35' 12.731" पू	27° 38' 52.779" उ
एम के एम 15	95° 25' 27.106" पू	27° 27' 40.925" उ	टी एल पी -3	95° 35' 1.381" पू	27° 39' 16.965" उ
एम के एम -14	95° 25' 26.584" पू	27° 27' 40.841" उ	टी एल पी -4	95° 35' 5.667" पू	27° 39' 13.708" उ
एम के एम -36	95° 25' 26.059" पू	27° 27' 40.744" उ	एच के एन-1	95° 28' 1.561" पू	27° 32' 3.746" उ
एम के एम -52	95° 24' 55.731" पू	27° 27' 36.939" उ	एम के एम-60	95° 23' 33.461" पू	27° 28' 7.968" उ

एम के एम - 31	95° 24' 55.190" पू	27° 27' 36.680" उ	एम के एम -56	95° 23' 45.130" पू	27° 27' 1.590" उ
एम के एम - 37	95° 24' 56.290" पू	27° 27' 36.540" उ	एम के एम -62	95° 22' 56.490" पू	27° 26' 39.710" उ
एम के एम - 23	95° 24' 55.890" पू	27° 27' 36.440" उ	एन एच के-619	95° 20' 12.450" पू	27° 25' 21.180" उ
एच जे एन- 46	95° 24' 56.370" पू	27° 27' 36.200" उ	एन एच के -582	95° 26' 21.280" पू	27° 25' 11.780" उ
एम के एम - 40	95° 24' 40.586" पू	27° 26' 48.313" उ	जे एन जी-3	95° 25' 49.055" पू	27° 26' 20.537" उ
एम के एम - 54	95° 22' 56.864" पू	27° 26' 40.091" उ	एच जे एन-61	95° 27' 50.080" पू	27° 26' 36.050" उ
एम के एम - 39	95° 24' 41.130" पू	27° 26' 48.309" उ	एच जे एन-63	95° 27' 50.299" पू	27° 26' 36.348" उ
एम के एम - 34	95° 24' 41.663" पू	27° 26' 48.305" उ	एच जे एन-66	95° 28' 53.550" पू	27° 27' 35.670" उ
एम के एम - 42	95° 24' 41.937" पू	27° 26' 48.579" उ	एच जे एन-62	95° 27' 53.370" पू	27° 26' 8.940" उ
एम के एम - 28	95° 24' 42.201" पू	27° 26' 48.145" उ	एच जे एन-64	95° 27' 55.430" पू	27° 25' 12.400" उ
एच जे एन- 24	95° 26' 46.242" पू	27° 28' 13.208" उ	बी आर के-18	95° 23' 25.616" पू	27° 32' 35.033" उ
एच जे एन- 29	95° 26' 46.758" पू	27° 28' 12.879" उ	बी आर के-24	95° 23' 24.346" पू	27° 32' 35.059" उ
एम के एम - 30	95° 25' 27.920" पू	27° 27' 40.950" उ	बी आर के-16	95° 23' 24.966" पू	27° 32' 35.020" उ
एन एच के - 611	95° 16' 57.810" पू	27° 25' 19.820" उ	बी जी एन-21	95° 22' 51.367" पू	27° 35' 46.693" उ
एन एच के - 602	95° 16' 57.907" पू	27° 25' 20.212" उ	एस बी जी-1	95° 23' 38.531" पू	27° 35' 42.596" उ
एन एच के - 552	95° 16' 57.959" पू	27° 25' 20.793" उ	एस बी जी -2	95° 24' 56.416" पू	27° 36' 23.395" उ
एन एच के - 285	95° 16' 37.899" पू	27° 25' 29.276" उ	बी जी एन -23	95° 24' 14.297" पू	27° 36' 15.561" उ
एन एच के - 558	95° 16' 37.376" पू	27° 25' 28.923" उ	बी जी एन -20	95° 24' 9.946" पू	27° 36' 44.429" उ
एन एच के -	95° 16'	27° 25'	बी जी एन -22	95° 25'	27° 36'

531	37.471" पू	28.377" उ		11.360" पू	56.937" उ
जे एन जी-1	95° 25' 47.944" पू	27° 26' 19.472" उ	बी जी एन -24	95° 24' 9.367" पू	27° 36' 44.689" उ
जे एन जी -2	95° 25' 48.281" पू	27° 26' 20.253" उ	एच जे एन-67	95° 28' 52.000" पू	27° 28' 48.250" उ
एम के एम - 50	95° 24' 19.123" पू	27° 26' 22.682" उ	बी आर के-21	95° 22' 52.644" पू	27° 32' 41.233" उ
एम के एम - 25	95° 23' 46.720" पू	27° 27' 1.030" उ	बी आर के-23	95° 22' 53.631" पू	27° 32' 42.739" उ
एम के एम - 55	95° 23' 47.620" पू	27° 27' 0.970" उ	बी आर के-19	95° 22' 53.201" पू	27° 32' 42.652" उ
एम के एम - 49	95° 22' 56.244" पू	27° 26' 39.363" उ	बी आर के-14	95° 23' 24.658" पू	27° 32' 34.775" उ
एम के एम - 53	95° 22' 55.942" पू	27° 26' 39.104" उ	बी आर के-5	95° 23' 37.895" पू	27° 32' 10.380" उ
एम के एम - 1	95° 22' 52.940" पू	27° 25' 45.540" उ	बी आर के-13	95° 24' 46.214" पू	27° 31' 46.583" उ
एम के एम - 51	95° 22' 41.000" पू	27° 26' 21.041" उ	बी आर के-15	95° 24' 46.078" पू	27° 31' 46.884" उ
एम के एम - 43	95° 22' 41.459" पू	27° 26' 20.511" उ	बी आर के-20	95° 24' 46.316" पू	27° 31' 46.328" उ
एच जे एन- 45	95° 26' 53.001" पू	27° 27' 9.699" उ	बी आर के-17	95° 24' 46.788" पू	27° 31' 45.233" उ
एच जे एन- 47	95° 26' 52.939" पू	27° 27' 10.157" उ	बी आर के-22	95° 24' 46.571" पू	27° 31' 45.770" उ
एच जे एन- 49	95° 26' 52.990" पू	27° 27' 10.640" उ	एस सी एम-5	95° 23' 53.214" पू	27° 30' 47.036" उ
एच जे एन- 51	95° 26' 52.930" पू	27° 27' 11.140" उ	एच जे एन-58	95° 26' 37.440" पू	27° 27' 47.837" उ
एम के एम - 8	95° 25' 28.256" पू	27° 28' 42.166" उ	एच जे एन-56	95° 26' 27.295" पू	27° 27' 43.468" उ
एम के एम - 9	95° 25' 28.739" पू	27° 28' 42.416" उ	एच जे एन-59	95° 26' 47.131" पू	27° 28' 13.415" उ
एम के एम - 11	95° 25' 29.065" पू	27° 28' 42.422" उ	एच जे एन-60	95° 27' 52.970" पू	27° 26' 10.238" उ
एम के एम - 12	95° 25' 29.461" पू	27° 28' 42.462" उ	एच जे एन-59	95° 27' 38.792" पू	27° 28' 25.849" उ

एम के एम - 10	95° 25' 26.094" पू	27° 29' 7.944" उ	एम के एम-58	95° 23' 32.322" पू	27° 28' 7.992" उ
एम के एम 13	95° 25' 25.517" पू	27° 29' 7.893" उ	एम के एम -59	95° 24' 5.510" पू	27° 28' 24.251" उ
एम के एम - 22	95° 26' 13.128" पू	27° 29' 27.050" उ	एच जे एन-53	95° 26' 41.644" पू	27° 28' 8.302" उ
एम के एम - 47	95° 26' 13.692" पू	27° 29' 27.063" उ	एम के एम -61	95° 24' 19.460" पू	27° 26' 22.570" उ
एम के एम - 48	95° 25' 58.131" पू	27° 28' 53.670" उ	के एच के-2	95° 16' 15.860" पू	27° 26' 28.750" उ
उ. एम के एम -1	95° 25' 20.035" पू	27° 29' 41.946" उ	एच जे एन-68	95° 27' 42.610" पू	27° 25' 58.340" उ
उ. एम के एम -2	95° 25' 19.481" पू	27° 29' 41.881" उ	के एच के -1	95° 16' 16.230" पू	27° 26' 28.360" उ
एम के एम - 6	95° 25' 26.583" पू	27° 29' 7.839" उ	एल एच एल-4	95° 16' 16.680" पू	27° 26' 28.400" उ
एम के एम - 7	95° 25' 25.683" पू	27° 29' 7.033" उ	एम के एम-57	95° 23' 46.670" पू	27° 27' 1.350" उ
एस सी एम- 1	95° 23' 51.574" पू	27° 30' 49.469" उ	एस एम डी-4	95° 32' 33.750" पू	27° 29' 39.090" उ
एस सी एम- 2	95° 24' 46.712" पू	27° 30' 41.984" उ	एच जे एन-65	95° 27' 59.060" पू	27° 28' 2.870" उ
एस सी एम- 3	95° 23' 52.047" पू	27° 30' 48.698" उ	एन एच के-630	95° 16' 57.780" पू	27° 25' 21.430" उ
एस सी एम- 4	95° 23' 38.639" पू	27° 31' 9.393" उ	बी जे एल-6	95° 26' 41.630" पू	27° 25' 39.320" उ
बी आर के-1	95° 24' 3.699" पू	27° 32' 10.533" उ	एम के एम-63	95° 24' 42.769" पू	27° 26' 48.124" उ
बी आर के-2	95° 24' 3.150" पू	27° 32' 10.476" उ	एच के एन-2	95° 28' 0.791" पू	27° 32' 3.772" उ
बी आर के-3	95° 24' 2.596" पू	27° 32' 10.457" उ	एच के एन -2 (एस एस)	95° 27' 55.758" पू	27° 32' 0.480" उ
बी आर के-4	95° 23' 36.927" पू	27° 32' 9.773" उ	एल ओ सी-102	95° 28' 24.311" पू	27° 32' 8.764" उ
बी आर के-5	95° 23' 37.375" पू	27° 32' 9.626" उ	एम सी के-5	95° 37' 32.658" पू	27° 43' 45.475" उ
बी आर के-6	95° 23'	27° 32'	धकुवाल-1	95° 21'	27° 33'

	52.738" पू	30.548" उ		35.541" पू	45.120" उ
बी आर के-7	95° 23' 37.399" पू	27° 32' 8.994" उ	के एच के-3	95° 16' 57.937" पू	27° 26' 24.330" उ
बी आर के-8	95° 23' 37.055" पू	27° 32' 8.668" उ	बी आर के-25	95° 24' 46.057" पू	27° 31' 47.354" उ
बी आर के-9	95° 23' 52.198" पू	27° 32' 30.180" उ	बी आर के-27	95° 23' 11.002" पू	27° 32' 15.058" उ
बी आर के-10	95° 22' 53.332" पू	27° 32' 42.266" उ	बी आर के-28	95° 23' 11.631" पू	27° 32' 15.885" उ
बी आर के-11	95° 23' 26.473" पू	27° 32' 34.954" उ	बी आर के-29	95° 23' 10.680" पू	27° 32' 14.508" उ
बी आर के-12	95° 22' 52.979" पू	27° 32' 41.727" उ	बी आर के-31	95° 23' 10.161" पू	27° 32' 14.180" उ
एम के एम -41	95° 23' 32.939" पू	27° 28' 7.983" उ	बी आर के-30	95° 24' 45.676" पू	27° 31' 47.509" उ
एम के एम -66	95° 26' 11.574" पू	27° 28' 11.429" उ	एम के एम-64	95° 24' 6.780" पू	27° 28' 23.305" उ
एम के एम -67	95° 24' 43.874" पू	27° 28' 21.504" उ	एम के एम -65	95° 23' 33.933" पू	27° 28' 8.003" उ

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ डिब्रू-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्रामों के नाम	जी पी एस निर्देशांक	
		अक्षांश	देशांतर
1	इरासूती गांव	27°35'27.4"उ	95°19'26.9"पू
2	कलीयापानी गांव	27°34'40.5"उ	95°19'30.5"पू
3	फैलाई गांव	27°45'20.3"उ	95°32'7.9"पू

उपाबंध -V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।

2. बैठकों का कार्यवृत्त: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें)।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2020

S.O.460(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2029(E) dated the 21st May, 2018 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 22nd May, 2018;

AND WHEREAS, objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were duly considered in the Ministry;

AND WHEREAS, Dibru-Saikhowa National Park located at Dibrugarh and Tinsukia Civil Districts of Assam is spread over an area of 340.0 square kilometres and was notified *vide* Government of Assam Notification No. FRW.21/90/171 dated the 5th March, 1999 as a National Park. The area is a single ecological unit which is basically a flood plain of the river Brahmaputra and Siang in the North, Lohit and Debang in the East, the Ananta Nala to the South-East and the Dangori and Dibru River in the South;

AND WHEREAS, the National Park represents a unique geo-morphological structure created by the river Brahmaputra and its tributaries, and the water channels, especially the Brahmaputra, forming an important habitat for the Indo-Genetic Dolphins;

AND WHEREAS, biogeographically, the Dibru-Saikhowa National park represents the “North Eastern India-Brahmaputra Valley Bio-geographical Province” (9A), having rich in flora and fauna being the transition zone of two major biodiversity hot spots, which supports diverse fauna well adapted to life in terrestrial, aquatic and arboreal ecosystems;

AND WHEREAS, the National Park supports astonishingly rich flora including 28 tree species, 26 species of shrubs, 2 species of parasitic plants, 17 species of grasses, 16 species of aquatic plants, 3 species of marshy plants, 4 species of climbers and scandens, 5 species of canes, 13 species of orchids, and 6 threatened medicinal plant species;

AND WHEREAS, Dibru-Saikhowa National Park is a habitat for many animals and birds with a total of 36 species of mammals belonging to 10 orders and 19 families and 27 genera are recorded in the core, out of which 12 belonged to Schedule-I. Feral horses are one of the prime mammal species available in the park. The National

Park supports 11 species of turtles, 9 species of lizard including two species of monitor Lizards, 18 species of amphibian, 104 species of fish, 23 different species of snakes and 104 species of butterflies besides having a huge number, about 500 species, of avifauna. The area also attracts Migratory birds and is a feeding ground for a variety of aquatic and terrestrial birds;

AND WHEREAS, winter dried up river beds as well as the river sandbars (Chapories) serve for the development of alluvial grassland which are not only an excellent habitat for the critically endangered Bengal florican, but also serve as migration route for the elephants in the Dibru-Dangori elephant corridor, and provide safe passage to tigers to Arunachal Pradesh State;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Dibru-Saikhowa National Park which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) kilometres to 8.7 kilometres around the boundary of Dibru-Saikhowa National Park, in Dibrugarh and Tinsukia districts in the State of Assam as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) kilometres to 8.7 kilometres around the boundary of Dibru-Saikhowa National Park and the area of the Eco-sensitive Zone is 658.251 square kilometres. (*Zero extent of Eco-sensitive Zone was justified as "Existence of crude oil and natural gas in the immediate vicinity of the southern side of the National Park boundary"*).
- (2) The boundary description of Dibru-Saikhowa National Park and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
- (3) The maps of the Dibru-Saikhowa National Park demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, and Annexure-IIC**.
- (4) List of geo-coordinates of the boundary of Dibru-Saikhowa National Park, Eco-sensitive Zone and prominent points of drilling wells around the National Park are given in Table **A**, Table **B** and Table **C** of **Annexure-III**.
- (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.
2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.
 - (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
 - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture and Horticulture;
 - (iv) Land revenue and settlement;
 - (v) Rural Development;
 - (vi) Urban Development;
 - (vii) Municipal;
 - (viii) Panchayati Raj;
 - (ix) Tourism;
 - (x) Irrigation and Flood Control;
 - (xi) Public Works Department; and

(xii) Assam State Pollution Control Board.

- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use.-** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

- (b) efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

- (2) **Natural water bodies.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be

drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

- (3) **Tourism or Eco-tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;
- (b) the Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests;
- (c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;
- (e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:
- Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution. -** Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.-** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
- (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

- (10) **Bio-Medical Waste.**— Bio Medical Waste Management shall be as under:-
- the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016;
 - safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.**— The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and demolition waste management.**— The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste.**— The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.**— The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.**— Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.**— (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone;
- (ii) only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.**— The protection of hill slopes shall be as under:-
- the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
 - construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.
4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.**— All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including

		<p>digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption;</p> <p>(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.</p>
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	<p>New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted:</p> <p>Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.</p>
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Commercial use of fire wood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
B. Regulated Activities		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	<p>No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities:</p> <p>Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.</p>
10.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
11.	Construction activities.	<p>(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents.</p>

		<p>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.</p>
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Open well, borewell etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.

25.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

- | | | |
|--------|---|----------------------|
| (i) | Commissioner, Upper Assam Zone, Jorhat | Chairman, ex officio |
| (ii) | Deputy Commissioner, Tinsukia and Dibrugarh | Member; |
| (iii) | Representative of the Director, Assam Tourism Department | Member; |
| (iv) | Divisional Forest Officer, Digboi, Dibrugarh & Doomdooma Divisions | Member; |
| (v) | Project Director District Rural Development Agency, Tinsukia And Dibrugarh Districts | Member; |
| (vi) | District Fishery Officer, Tinsukia and Dibrugarh Districts | Member; |
| (vii) | Divisional Officer, Soil Conservation Division, Tinsukia And Dibrugarh Districts | Member; |
| (viii) | General Manager, District Industries Centre, Tinsukia And Dibrugarh Districts | Member; |
| (ix) | District Agriculture Officer, Tinsukia And Dibrugarh Districts | Member; |
| (x) | District Animal Husbandry & Veterinary Officer, Tinsukia And Dibrugarh Districts | Member; |
| (xi) | Executive Engineer, Public Works Department (Road Division), Tinsukia And Dibrugarh Districts | Member; |
| (xii) | Executive Engineer, Public Works Department (Building Division), Tinsukia And Dibrugarh Districts | Member; |

(xiii)	Representative of non-governmental organization working in the field of Nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by Government of Assam	Member;
(xiv)	Senior Environment Engineer (Regional Office), Pollution Control Board, Tinsukia and Dibrugarh Districts	Member;
(xv)	One expert in Ecology from reputed Institution/University Of Assam to be nominated by the Government of Assam	Member;
(xvi)	Divisional Forest Officer, Tinsukia Wildlife Division	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under **paragraph 4** thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure V**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/07/2016-ESZ-RE]

Dr SATISH C. GARKOTI , Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECOSENSITIVE ZONE AROUND DIBRU-SAIKHOWA NATIONAL PARK IN THE STATE ASSAM

South: The Eco-Sensitive Zone starts from GPS Point No. 1 (95° 40' 33.108" E & 27° 46' 44.406" N) which is located at the southern end of the Dhola Sadiya Bridge. From this point the ESZ boundary runs in the

westward direction along the Southern bank of the river Brahmaputra up to the GPS Point No. 2 (95° 38' 57.929" E & 27° 46' 42.022" N). From GPS Point No. 2 the boundary again runs westward direction along the road up to the GPS Point No.3 (95° 36' 34.383" E & 27° 46' 7.551" N). From GPS Point No. 3 the boundary runs towards south and meets GPS Point No. 4(95° 36' 31.965" E & 27° 45' 59.683" N). From GPS Point No.4 the boundary runs along the Nala up-to the GPS Point No.5 (95° 35' 55.120" E & 27° 45' 32.586" N). From GPS Point No.5 the boundary runs towards south along the road and meet GPS Point No.6 (95° 35' 48.587" E & 27° 45' 22.675" N).

From GPS Point No.6 again the boundary runs in westerly direction along the road till it meets the GPS Point No.7 (95° 30' 32.718" E & 27° 44' 13.989" N). From GPS Point No.7 the boundary runs along the river upto the GPS Point No.8 (95° 28' 30.416" E & 27° 40' 17.721" N). From GPS Point No. 8 the boundary runs straight towards north and meets the GPS Point No.9 (95° 27' 8.423" E & 27° 41' 19.355" N) which is located at the Dibru Saikhuwa National Park boundary. From GPS Point No. 9 the boundary runs along the Dibru Saikhuwa National Park boundary crossing the GPS Point No.10, and meets the GPS Point No.11 (95° 21' 39.151" E & 27° 35' 43.758" N). From GPS Point No. 11 the boundary runs towards south and meets the GPS Point No.12 (95° 21' 55.267" E & 27° 35' 7.199" N). From GPS Point No.12 the ESZ boundary runs along the 250 meter buffer boundary of Dibru river (left bank) and meets the GPS Point No. 13 (95° 22' 16.467" E & 27° 34' 26.108" N). From GPS Point No. 13 the ESZ boundary follows an imaginary line crossing the GPS point No.14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 and meets the GPS Point No 30 (95° 22' 9.703" E & 27° 34' 13.330" N). From GPS Point No.30 the boundary runs along the 250 meter buffer boundary of Dibru River (right bank) and meets the GPS Point No.31(95° 21' 46.005" E & 27° 34' 51.579" N). From GPS Point No.31 the boundary runs along the southern bank of the river Brahmaputra crossing the GPS Point No.32,33,34 and meet the GPS point No.35 (95° 17' 49.051" E & 27° 34' 19.811" N).

West: The western boundary of the Dibru-Saikhuwa National Park Eco-Sensitive Zone starts from GPS Point No.35 (95° 17' 49.051" E & 27° 34' 19.811" N) which follows an imaginary line crossing the GPS Point No. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 and meets the GPS Point No.49 (95° 11' 37.010" E & 27° 35' 48.411" N). From GPS Point No. 49 the boundary again runs along the National Park boundary crossing the GPS Point No.50,51,52,53,54,55,56 till it meets the GPS Point No. 57 (95° 8' 20.617" E & 27° 36' 3.285" N). From GPS Point No. 57 the boundary runs straight towards north crossing GPS Point No.58 and 59 till it meets the GPS Point No.60 (95° 8' 16.691" E & 27° 41' 21.448" N).

North: The Northern boundary of the Dibru-Saikhuwa National Park Eco-Sensitive Zone starts from GPS Point No.60 (95° 8' 16.691" E & 27° 41' 21.448" N) which follow the northern bank of river Brahmaputra crossing the GPS Point No. 61 till it meets the GPS Point No.62 (95° 12' 17.779" E & 27° 42' 58.645" N). From GPS Point No. 62 the boundary follows an imaginary line crossing the GPS Point No.63, 64, 65 and 66 till it meets the GPS Point No.67 (95° 25' 31.436" E & 27° 46' 8.192" N). From GPS point No. 67 the boundary again runs along the northern bank of the river Brahmaputra crossing the GPS Point No. 68,69 and 70 till it meets the GPS point No.71(95° 35' 38.772" E & 27° 49' 46.825" N). From GPS Point No. 71 the boundary runs towards south along the left bank of river Dibang till it meets the GPS Point No. 72(95° 35' 30.856" E & 27° 48' 28.508" N). From GPS Point No.72 the boundary runs along the northern bank of the river Brahmaputra crossing the GPS Point No.73 till it meets the GPS Point No.74 (95° 40' 33.920" E & 27° 48' 54.974" N).


East: The Eastern boundary of the Dibru Saikhuwa National Park Eco-Sensitive Zone starts from GPS Point No.74 (95° 40' 33.920" E & 27° 48' 54.974" N) which is located at Dhola Sadiya Bridge (Northern Point). From GPS Point No.74 the boundary runs towards south along the Dhola Sadiya Bridge and meet the GPS Point No.1 (95° 40' 33.108" E & 27° 46' 44.406" N) which is the southern point of the said bridge.

Being the presence of oil and natural gas in the immediate vicinity of the Southern boundary of Dibru\Saikhuwa National Park Eco-Sensitive Zone, a 0.0 km ESZ extent is proposed. The extent of Eco-Sensitive Zone varies from 0.0 Km to 8.7 km.

ANNEXURE- IIA


GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF DIBRU-SAIKHOWA NATIONAL PARK ALONG

ECO-SENSITIVE ZONE OF DIBRU-SAIKHOWA NATIONAL PARK




ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF DIBRU-SAIKHOWA NATIONAL PARK ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS AND OIL DRILLING WELLS



ANNEXURE- IIC

MAP SHOWING ECO-SENSITIVE ZONE OF DIBRU-SAIKHOWA NATIONAL PARK ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS AND DETAILS OF DRILL WELLS



ANNEXURE-III

**TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF DIBRU-SAIKHOWA
NATIONAL PARK**

Points_ID	Longitude	Latitude
1	95° 36' 15.504" E	27° 45' 54.468" N
2	95° 33' 25.205" E	27° 45' 58.765" N
3	95° 31' 59.320" E	27° 46' 49.727" N
4	95° 30' 50.139" E	27° 45' 34.330" N
5	95° 29' 42.799" E	27° 44' 49.907" N
6	95° 28' 59.203" E	27° 43' 15.283" N
7	95° 27' 38.208" E	27° 42' 24.917" N
8	95° 27' 3.144" E	27° 40' 47.259" N
9	95° 26' 29.345" E	27° 39' 6.946" N
10	95° 25' 22.057" E	27° 37' 54.839" N
11	95° 23' 44.624" E	27° 37' 2.968" N
12	95° 22' 11.754" E	27° 36' 4.301" N
13	95° 20' 57.056" E	27° 35' 39.316" N
14	95° 19' 59.859" E	27° 35' 34.642" N
15	95° 18' 16.091" E	27° 35' 31.599" N
16	95° 17' 8.046" E	27° 34' 39.883" N
17	95° 15' 58.104" E	27° 34' 43.068" N
18	95° 14' 24.427" E	27° 35' 7.660" N
19	95° 13' 25.610" E	27° 35' 25.577" N
20	95° 12' 9.544" E	27° 35' 30.250" N
21	95° 10' 54.242" E	27° 36' 24.439" N
22	95° 10' 59.422" E	27° 37' 7.211" N
23	95° 9' 27.818" E	27° 36' 25.624" N
24	95° 8' 37.362" E	27° 36' 30.047" N
25	95° 11' 34.564" E	27° 38' 40.144" N
26	95° 13' 30.451" E	27° 38' 57.788" N
27	95° 15' 13.123" E	27° 39' 34.581" N
28	95° 16' 27.214" E	27° 40' 44.839" N
29	95° 17' 51.883" E	27° 41' 3.231" N
30	95° 19' 19.235" E	27° 42' 11.036" N
31	95° 21' 9.471" E	27° 42' 33.319" N
32	95° 22' 41.931" E	27° 43' 36.062" N
33	95° 24' 29.560" E	27° 44' 0.065" N
34	95° 25' 59.808" E	27° 44' 59.112" N
35	95° 27' 27.434" E	27° 46' 3.982" N
36	95° 28' 44.780" E	27° 47' 21.348" N
37	95° 30' 28.509" E	27° 48' 1.842" N
38	95° 32' 23.881" E	27° 47' 48.657" N

39	95° 34' 6.350" E	27° 46' 58.046" N
40	95° 35' 48.725" E	27° 46' 18.753" N

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Points_ID	Longitude	Latitude
1	95° 40' 33.108" E	27° 46' 44.406" N
2	95° 38' 57.929" E	27° 46' 42.022" N
3	95° 36' 34.383" E	27° 46' 7.551" N
4	95° 36' 31.965" E	27° 45' 59.683" N
5	95° 35' 55.120" E	27° 45' 32.586" N
6	95° 35' 48.587" E	27° 45' 22.675" N
7	95° 30' 32.718" E	27° 44' 13.989" N
8	95° 28' 30.416" E	27° 40' 17.721" N
9	95° 27' 8.423" E	27° 41' 19.355" N
10	95° 24' 39.146" E	27° 37' 45.135" N
11	95° 21' 39.151" E	27° 35' 43.758" N
12	95° 21' 55.267" E	27° 35' 7.199" N
13	95° 22' 16.467" E	27° 34' 26.108" N
14	95° 23' 8.171" E	27° 34' 41.124" N
15	95° 23' 14.341" E	27° 35' 3.833" N
16	95° 23' 38.490" E	27° 35' 3.206" N
17	95° 23' 41.921" E	27° 34' 41.351" N
18	95° 24' 47.239" E	27° 34' 43.619" N
19	95° 26' 21.044" E	27° 34' 17.058" N
20	95° 25' 58.202" E	27° 33' 46.479" N
21	95° 24' 34.558" E	27° 34' 23.018" N
22	95° 24' 14.323" E	27° 34' 21.766" N
23	95° 24' 10.274" E	27° 34' 13.642" N
24	95° 23' 26.499" E	27° 34' 27.797" N
25	95° 22' 51.437" E	27° 34' 26.071" N
26	95° 22' 36.798" E	27° 33' 28.131" N
27	95° 22' 24.922" E	27° 33' 30.194" N
28	95° 22' 21.395" E	27° 33' 41.070" N
29	95° 22' 20.199" E	27° 34' 5.682" N
30	95° 22' 9.703" E	27° 34' 13.330" N
31	95° 21' 46.005" E	27° 34' 51.579" N
32	95° 20' 54.156" E	27° 34' 37.373" N
33	95° 19' 56.681" E	27° 34' 52.666" N
34	95° 18' 55.229" E	27° 34' 30.123" N
35	95° 17' 49.051" E	27° 34' 19.811" N
36	95° 16' 56.307" E	27° 34' 10.779" N
37	95° 16' 2.639" E	27° 34' 10.200" N
38	95° 15' 28.079" E	27° 34' 24.600" N
39	95° 15' 37.799" E	27° 34' 36.840" N
40	95° 15' 6.804" E	27° 34' 54.728" N
41	95° 14' 51.719" E	27° 34' 46.200" N
42	95° 14' 14.033" E	27° 34' 45.434" N
43	95° 13' 43.826" E	27° 34' 31.787" N

44	95° 13' 43.705" E	27° 34' 51.520" N
45	95° 12' 42.119" E	27° 35' 0.600" N
46	95° 12' 15.839" E	27° 35' 22.200" N
47	95° 11' 57.479" E	27° 35' 2.400" N
48	95° 11' 14.224" E	27° 35' 20.694" N
49	95° 11' 37.010" E	27° 35' 48.411" N
50	95° 11' 27.041" E	27° 36' 21.006" N
51	95° 10' 39.175" E	27° 36' 14.019" N
52	95° 10' 36.116" E	27° 36' 18.260" N
53	95° 11' 22.174" E	27° 37' 2.714" N
54	95° 10' 40.707" E	27° 37' 14.512" N
55	95° 10' 19.539" E	27° 36' 47.155" N
56	95° 9' 18.871" E	27° 36' 18.295" N
57	95° 8' 20.617" E	27° 36' 3.285" N
58	95° 8' 18.246" E	27° 37' 21.619" N
59	95° 8' 14.476" E	27° 39' 45.500" N
60	95° 8' 16.691" E	27° 41' 21.448" N
61	95° 11' 14.237" E	27° 41' 35.333" N
62	95° 12' 17.779" E	27° 42' 58.645" N
63	95° 15' 37.938" E	27° 43' 46.588" N
64	95° 18' 14.131" E	27° 44' 23.934" N
65	95° 20' 50.349" E	27° 45' 1.230" N
66	95° 23' 26.593" E	27° 45' 38.474" N
67	95° 25' 31.436" E	27° 46' 8.192" N
68	95° 28' 12.221" E	27° 47' 39.423" N
69	95° 30' 10.730" E	27° 49' 0.183" N
70	95° 32' 43.433" E	27° 49' 13.018" N
71	95° 35' 38.772" E	27° 49' 46.825" N
72	95° 35' 30.856" E	27° 48' 28.508" N
73	95° 38' 21.399" E	27° 49' 4.281" N
74	95° 40' 33.920" E	27° 48' 54.974" N

TABLE C : PROMINENT LOCATION POINTS OF THE DRILLED NEAR ECO-SENSITIVE ZONE OF DIBRU-SAIKHOWA NATIONAL PARK ALONG WITH GEO-COORDINATES

Drilled Wells					
Name	Longitude	Latitude	Name	Longitude	Latitude
HJN-61	95° 26' 52.800" E	27° 27' 11.124" N	MKM-45	95° 24' 42.240" E	27° 28' 22.150" N
BRK-26	95° 23' 11.313" E	27° 32' 15.562" N	MKM-44	95° 24' 42.732" E	27° 28' 22.168" N
SCM-6	95° 23' 52.978" E	27° 30' 47.905" N	MKM-16	95° 24' 35.407" E	27° 28' 22.905" N
MCK-4	95° 37' 31.522" E	27° 43' 46.586" N	MKM-29	95° 24' 35.248" E	27° 28' 21.810" N
BZL-2	95° 26' 41.150" E	27° 25' 38.970" N	MKM-17	95° 24' 35.264" E	27° 28' 21.335" N
BZL-1	95° 26' 40.872" E	27° 25' 38.771" N	MKM-38	95° 24' 35.330" E	27° 28' 20.650" N
NHK-581	95° 27' 18.070" E	27° 25' 27.460" N	MKM-32	95° 24' 35.270" E	27° 28' 20.170" N
BZL-3	95° 26' 42.160" E	27° 25' 39.880" N	MKM-46	95° 24' 5.930" E	27° 28' 23.919" N
BZL-4	95° 26' 43.020" E	27° 25' 40.560" N	MKM-33	95° 24' 6.357" E	27° 28' 23.640" N
BZL-5	95° 26' 43.040" E	27° 25' 39.850" N	HJN-55	95° 28' 35.843" E	27° 27' 14.577" N

NHK-249	95° 26' 59.713" E	27° 25' 50.479" N	HJN-4	95° 28' 31.348" E	27° 27' 16.218" N
DSJ-1	95° 27' 27.243" E	27° 38' 51.787" N	HJN-28	95° 28' 33.244" E	27° 27' 16.969" N
BGP-4	95° 29' 28.252" E	27° 27' 48.220" N	HJN-9	95° 28' 33.736" E	27° 27' 15.390" N
HJN-6	95° 28' 56.645" E	27° 27' 47.677" N	HJN-12	95° 28' 35.305" E	27° 27' 14.671" N
HJN-26	95° 28' 56.711" E	27° 27' 47.312" N	HJN-25	95° 28' 36.622" E	27° 27' 12.607" N
HJN-14	95° 28' 20.431" E	27° 27' 35.378" N	HJN-57	95° 27' 49.825" E	27° 26' 36.417" N
HJN-8	95° 28' 52.125" E	27° 27' 36.565" N	HJN-54	95° 27' 53.040" E	27° 26' 10.670" N
HJN-1	95° 28' 52.684" E	27° 27' 36.346" N	HJN-21	95° 27' 42.080" E	27° 25' 58.407" N
HJN-13	95° 28' 19.898" E	27° 27' 35.078" N	HJN-38	95° 27' 42.371" E	27° 25' 58.412" N
HJN-11	95° 28' 19.440" E	27° 27' 35.102" N	KMR-1	95° 24' 21.819" E	27° 25' 27.410" N
HJN-15	95° 28' 20.195" E	27° 27' 35.155" N	NHK-506	95° 17' 26.504" E	27° 25' 31.698" N
HJN-2	95° 28' 4.729" E	27° 27' 29.487" N	NHK-557	95° 16' 58.562" E	27° 26' 25.311" N
HJN-19	95° 27' 54.853" E	27° 27' 37.602" N	NHK-594	95° 16' 15.980" E	27° 26' 28.320" N
HJN-20	95° 27' 54.782" E	27° 27' 37.050" N	NHK-604	95° 19' 3.000" E	27° 27' 26.700" N
HJN-22	95° 27' 54.991" E	27° 27' 36.715" N	NHK-610	95° 20' 12.030" E	27° 25' 20.740" N
HJN-10	95° 27' 50.904" E	27° 27' 25.375" N	NHK-613	95° 17' 27.310" E	27° 25' 31.680" N
HJN-3	95° 27' 50.598" E	27° 27' 25.232" N	BGN-1	95° 23' 37.033" E	27° 35' 42.410" N
HJN-16	95° 27' 42.306" E	27° 27' 16.456" N	BGN-2	95° 24' 12.220" E	27° 36' 15.857" N
HJN-17	95° 27' 42.204" E	27° 27' 16.202" N	BGN-3	95° 23' 30.661" E	27° 36' 12.061" N
HJN-5	95° 28' 17.637" E	27° 27' 47.040" N	BGN-4	95° 24' 57.665" E	27° 36' 22.967" N
HJN-18	95° 27' 41.766" E	27° 27' 15.092" N	BGN-5	95° 22' 51.066" E	27° 35' 46.566" N
HJN-7	95° 28' 0.075" E	27° 28' 1.596" N	BGN-6	95° 24' 56.948" E	27° 36' 23.674" N
HJN-42	95° 27' 39.139" E	27° 28' 24.606" N	BGN-7	95° 24' 57.039" E	27° 36' 23.076" N
HJN-27	95° 27' 59.507" E	27° 28' 2.233" N	BGN-8	95° 24' 12.807" E	27° 36' 16.061" N
HJN-23	95° 26' 46.020" E	27° 28' 13.570" N	BGN-9	95° 24' 57.424" E	27° 36' 23.314" N
HJN-48	95° 26' 57.520" E	27° 28' 35.920" N	BGN-10	95° 24' 58.750" E	27° 36' 22.746" N
HJN-32	95° 26' 42.912" E	27° 28' 9.113" N	BGN-11	95° 24' 11.316" E	27° 36' 43.882" N
HJN-30	95° 26' 42.134" E	27° 28' 8.426" N	BGN-12	95° 24' 11.068" E	27° 36' 43.968" N
HJN-31	95° 26' 42.552" E	27° 28' 8.714" N	BGN-13	95° 24' 10.495" E	27° 36' 44.210" N
HJN-52	95° 26' 26.503" E	27° 27' 42.832" N	BGN-14	95° 25' 13.020" E	27° 36' 56.933" N
MKM-27	95° 26' 13.698" E	27° 28' 11.818" N	BGN-15	95° 25' 12.381" E	27° 36' 56.846" N
HJN-33	95° 26' 41.712" E	27° 28' 8.016" N	BGN-16	95° 25' 11.771" E	27° 36' 56.713" N
MKM-3	95° 26' 12.247" E	27° 28' 27.431" N	BGN-17	95° 25' 11.076" E	27° 36' 56.669" N
HJN-43	95° 26' 12.564" E	27° 28' 11.760" N	BGN-18	95° 25' 12.008" E	27° 36' 57.021" N
HJN-50	95° 26' 13.140" E	27° 28' 11.805" N	BGN-19	95° 25' 12.649" E	27° 36' 57.156" N
MKM-4	95° 26' 12.238" E	27° 28' 26.937" N	MCK-1	95° 37' 52.393" E	27° 43' 32.548" N
MKM-19	95° 26' 12.195" E	27° 28' 25.940" N	MCK-2	95° 37' 8.407" E	27° 43' 42.718" N
MKM-5	95° 26' 12.305" E	27° 28' 26.437" N	MCK-3	95° 36' 33.391" E	27° 43' 31.526" N
HJN-52	95° 26' 27.900" E	27° 27' 42.850" N	BGP-1	95° 30' 6.429" E	27° 25' 56.221" N
HJN-44	95° 26' 28.898" E	27° 27' 42.853" N	BGP-2	95° 32' 40.422" E	27° 25' 42.555" N
HJN-40	95° 26' 28.327" E	27° 27' 42.893" N	BGP-7	95° 32' 49.431" E	27° 25' 15.512" N

HJN-37	95° 26' 27.038" E	27° 27' 43.030" N	BGP-5	95° 34' 20.067" E	27° 25' 34.887" N
HJN-39	95° 26' 27.574" E	27° 27' 42.996" N	BGP-6	95° 33' 14.397" E	27° 26' 23.827" N
HJN-34	95° 26' 36.341" E	27° 27' 47.456" N	SMD-2	95° 34' 0.559" E	27° 27' 43.280" N
MKM-2	95° 26' 12.419" E	27° 28' 34.607" N	SMD-3	95° 32' 59.207" E	27° 29' 2.092" N
HJN-35	95° 26' 37.851" E	27° 27' 47.613" N	SMD-1	95° 33' 4.079" E	27° 29' 18.176" N
HJN-56	95° 26' 36.840" E	27° 27' 48.393" N	BHJ-6	95° 29' 59.226" E	27° 30' 39.962" N
HJN-41	95° 26' 38.510" E	27° 27' 48.030" N	BHJ-3	95° 30' 38.751" E	27° 31' 13.482" N
MKM-1	95° 26' 12.516" E	27° 28' 35.344" N	BHJ-4	95° 30' 38.390" E	27° 31' 14.390" N
MKM-20	95° 25' 56.853" E	27° 28' 52.499" N	BHJ-1	95° 30' 38.256" E	27° 31' 14.926" N
MKM-21	95° 25' 59.119" E	27° 28' 53.386" N	BHJ-2	95° 30' 37.726" E	27° 31' 15.304" N
MKM-18	95° 25' 18.682" E	27° 28' 46.139" N	BHJ-5	95° 31' 32.149" E	27° 30' 55.929" N
MKM-35	95° 25' 18.820" E	27° 28' 45.030" N	NBH-1	95° 31' 4.903" E	27° 32' 8.982" N
MKM-24	95° 25' 18.840" E	27° 28' 44.670" N	TLP-1	95° 34' 49.303" E	27° 38' 58.883" N
MKM-26	95° 25' 18.890" E	27° 28' 44.180" N	TLP-2	95° 35' 12.731" E	27° 38' 52.779" N
MKM-15	95° 25' 27.106" E	27° 27' 40.925" N	TLP-3	95° 35' 1.381" E	27° 39' 16.965" N
MKM-14	95° 25' 26.584" E	27° 27' 40.841" N	TLP-4	95° 35' 5.667" E	27° 39' 13.708" N
MKM-36	95° 25' 26.059" E	27° 27' 40.744" N	HKN-1	95° 28' 1.561" E	27° 32' 3.746" N
MKM-52	95° 24' 55.731" E	27° 27' 36.939" N	MKM-60	95° 23' 33.461" E	27° 28' 7.968" N
MKM-31	95° 24' 55.190" E	27° 27' 36.680" N	MKM-56	95° 23' 45.130" E	27° 27' 1.590" N
MKM-37	95° 24' 56.290" E	27° 27' 36.540" N	MKM-62	95° 22' 56.490" E	27° 26' 39.710" N
MKM-23	95° 24' 55.890" E	27° 27' 36.440" N	NHK-619	95° 20' 12.450" E	27° 25' 21.180" N
HJN-46	95° 24' 56.370" E	27° 27' 36.200" N	NHK-582	95° 26' 21.280" E	27° 25' 11.780" N
MKM-40	95° 24' 40.586" E	27° 26' 48.313" N	JNG-3	95° 25' 49.055" E	27° 26' 20.537" N
MKM-54	95° 22' 56.864" E	27° 26' 40.091" N	HJN-61	95° 27' 50.080" E	27° 26' 36.050" N
MKM-39	95° 24' 41.130" E	27° 26' 48.309" N	HJN-63	95° 27' 50.299" E	27° 26' 36.348" N
MKM-34	95° 24' 41.663" E	27° 26' 48.305" N	HJN-66	95° 28' 53.550" E	27° 27' 35.670" N
MKM-42	95° 24' 41.937" E	27° 26' 48.579" N	HJN-62	95° 27' 53.370" E	27° 26' 8.940" N
MKM-28	95° 24' 42.201" E	27° 26' 48.145" N	HJN-64	95° 27' 55.430" E	27° 25' 12.400" N
HJN-24	95° 26' 46.242" E	27° 28' 13.208" N	BRK-18	95° 23' 25.616" E	27° 32' 35.033" N
HJN-29	95° 26' 46.758" E	27° 28' 12.879" N	BRK-24	95° 23' 24.346" E	27° 32' 35.059" N
MKM-30	95° 25' 27.920" E	27° 27' 40.950" N	BRK-16	95° 23' 24.966" E	27° 32' 35.020" N
NHK-611	95° 16' 57.810" E	27° 25' 19.820" N	BGN-21	95° 22' 51.367" E	27° 35' 46.693" N
NHK-602	95° 16' 57.907" E	27° 25' 20.212" N	SBG-1	95° 23' 38.531" E	27° 35' 42.596" N
NHK-552	95° 16' 57.959" E	27° 25' 20.793" N	SBG-2	95° 24' 56.416" E	27° 36' 23.395" N
NHK-285	95° 16' 37.899" E	27° 25' 29.276" N	BGN-23	95° 24' 14.297" E	27° 36' 15.561" N
NHK-558	95° 16' 37.376" E	27° 25' 28.923" N	BGN-20	95° 24' 9.946" E	27° 36' 44.429" N
NHK-531	95° 16' 37.471" E	27° 25' 28.377" N	BGN-22	95° 25' 11.360" E	27° 36' 56.937" N
JNG-1	95° 25' 47.944" E	27° 26' 19.472" N	BGN-24	95° 24' 9.367" E	27° 36' 44.689" N
JNG-2	95° 25' 48.281" E	27° 26' 20.253" N	HJN-67	95° 28' 52.000" E	27° 28' 48.250" N
MKM-50	95° 24' 19.123" E	27° 26' 22.682" N	BRK-21	95° 22' 52.644" E	27° 32' 41.233" N
MKM-25	95° 23' 46.720" E	27° 27' 1.030" N	BRK-23	95° 22' 53.631" E	27° 32' 42.739" N

MKM-55	95° 23' 47.620" E	27° 27' 0.970" N	BRK-19	95° 22' 53.201" E	27° 32' 42.652" N
MKM-49	95° 22' 56.244" E	27° 26' 39.363" N	BRK-14	95° 23' 24.658" E	27° 32' 34.775" N
MKM-53	95° 22' 55.942" E	27° 26' 39.104" N	BRK-5	95° 23' 37.895" E	27° 32' 10.380" N
MKL-1	95° 22' 52.940" E	27° 25' 45.540" N	BRK-13	95° 24' 46.214" E	27° 31' 46.583" N
MKM-51	95° 22' 41.000" E	27° 26' 21.041" N	BRK-15	95° 24' 46.078" E	27° 31' 46.884" N
MKM-43	95° 22' 41.459" E	27° 26' 20.511" N	BRK-20	95° 24' 46.316" E	27° 31' 46.328" N
HJN-45	95° 26' 53.001" E	27° 27' 9.699" N	BRK-17	95° 24' 46.788" E	27° 31' 45.233" N
HJN-47	95° 26' 52.939" E	27° 27' 10.157" N	BRK-22	95° 24' 46.571" E	27° 31' 45.770" N
HJN-49	95° 26' 52.990" E	27° 27' 10.640" N	SCM-5	95° 23' 53.214" E	27° 30' 47.036" N
HJN-51	95° 26' 52.930" E	27° 27' 11.140" N	HJN-58	95° 26' 37.440" E	27° 27' 47.837" N
MKM-8	95° 25' 28.256" E	27° 28' 42.166" N	HJN-56	95° 26' 27.295" E	27° 27' 43.468" N
MKM-9	95° 25' 28.739" E	27° 28' 42.416" N	HJN-59	95° 26' 47.131" E	27° 28' 13.415" N
MKM-11	95° 25' 29.065" E	27° 28' 42.422" N	HJN-60	95° 27' 52.970" E	27° 26' 10.238" N
MKM-12	95° 25' 29.461" E	27° 28' 42.462" N	HJN-59	95° 27' 38.792" E	27° 28' 25.849" N
MKM-10	95° 25' 26.094" E	27° 29' 7.944" N	MKM-58	95° 23' 32.322" E	27° 28' 7.992" N
MKM-13	95° 25' 25.517" E	27° 29' 7.893" N	MKM-59	95° 24' 5.510" E	27° 28' 24.251" N
MKM-22	95° 26' 13.128" E	27° 29' 27.050" N	HJN-53	95° 26' 41.644" E	27° 28' 8.302" N
MKM-47	95° 26' 13.692" E	27° 29' 27.063" N	MKM-61	95° 24' 19.460" E	27° 26' 22.570" N
MKM-48	95° 25' 58.131" E	27° 28' 53.670" N	KHK-2	95° 16' 15.860" E	27° 26' 28.750" N
N.MKM-1	95° 25' 20.035" E	27° 29' 41.946" N	HJN-68	95° 27' 42.610" E	27° 25' 58.340" N
N.MKM-2	95° 25' 19.481" E	27° 29' 41.881" N	KHK-1	95° 16' 16.230" E	27° 26' 28.360" N
MKM-6	95° 25' 26.583" E	27° 29' 7.839" N	LHL-4	95° 16' 16.680" E	27° 26' 28.400" N
MKM-7	95° 25' 25.683" E	27° 29' 7.033" N	MKM-57	95° 23' 46.670" E	27° 27' 1.350" N
SCM-1	95° 23' 51.574" E	27° 30' 49.469" N	SMD-4	95° 32' 33.750" E	27° 29' 39.090" N
SCM-2	95° 24' 46.712" E	27° 30' 41.984" N	HJN-65	95° 27' 59.060" E	27° 28' 2.870" N
SCM-3	95° 23' 52.047" E	27° 30' 48.698" N	NHK-630	95° 16' 57.780" E	27° 25' 21.430" N
SCM-4	95° 23' 38.639" E	27° 31' 9.393" N	BZL-6	95° 26' 41.630" E	27° 25' 39.320" N
BRK-1	95° 24' 3.699" E	27° 32' 10.533" N	MKM-63	95° 24' 42.769" E	27° 26' 48.124" N
BRK-2	95° 24' 3.150" E	27° 32' 10.476" N	HKN-2	95° 28' 0.791" E	27° 32' 3.772" N
BRK-3	95° 24' 2.596" E	27° 32' 10.457" N	HKN-2 (SS)	95° 27' 55.758" E	27° 32' 0.480" N
BRK-4	95° 23' 36.927" E	27° 32' 9.773" N	Loc-102	95° 28' 24.311" E	27° 32' 8.764" N
BRK-5	95° 23' 37.375" E	27° 32' 9.626" N	MCK-5	95° 37' 32.658" E	27° 43' 45.475" N
BRK-6	95° 23' 52.738" E	27° 32' 30.548" N	Dhakuwal-1	95° 21' 35.541" E	27° 33' 45.120" N
BRK-7	95° 23' 37.399" E	27° 32' 8.994" N	KHK-3	95° 16' 57.937" E	27° 26' 24.330" N
BRK-8	95° 23' 37.055" E	27° 32' 8.668" N	BRK-25	95° 24' 46.057" E	27° 31' 47.354" N
BRK-9	95° 23' 52.198" E	27° 32' 30.180" N	BRK-27	95° 23' 11.002" E	27° 32' 15.058" N
BRK-10	95° 22' 53.332" E	27° 32' 42.266" N	BRK-28	95° 23' 11.631" E	27° 32' 15.885" N
BRK-11	95° 23' 26.473" E	27° 32' 34.954" N	BRK-29	95° 23' 10.680" E	27° 32' 14.508" N
BRK-12	95° 22' 52.979" E	27° 32' 41.727" N	BRK-31	95° 23' 10.161" E	27° 32' 14.180" N
MKM-41	95° 23' 32.939" E	27° 28' 7.983" N	BRK-30	95° 24' 45.676" E	27° 31' 47.509" N
MKM-66	95° 26' 11.574" E	27° 28' 11.429" N	MKM-64	95° 24' 6.780" E	27° 28' 23.305" N

MKM-67	95° 24' 43.874" E	27° 28' 21.504" N	MKM-65	95° 23' 33.933" E	27° 28' 8.003" N
--------	-------------------	-------------------	--------	-------------------	------------------

ANNEXURE-IV**LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF DIBRU-SAIKHOWA NATIONAL PARK ALONG WITH GEO-COORDINATES**

Sl. No.	Name of Villages	Geo co-ordinates	
		Latitude	Longitude
1	Erasuti Gaon	27°35'27.4"N	95°19'26.9"E
2	Kaliapani Gaon	27°34'40.5"N	95°19'30.5"E
3	Felai Gaon	27°45'20.3"N	95°32'7.9"E

ANNEXURE -V**Performa of Action Taken Report:**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.